में जारी हुए

24.2.25 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। संक्षेप में प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी भूमि चक 10 HMH के खाता स. 144 प.न. 152/271 (35) किला न. 1 ता 25 कुल 6.325 है. भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि 10 HMH के प.न. 152/272 (36) के कि.न. 1/2 तादादी 0.127 है. में उ.प. सिरे पर पश्चिम से पूर्व 16 1/2 फीट चौड़ा व 33 फीट लम्बा अर्थात् 0.005 है. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में अंकन किया है कि अप्रार्थी उक्त रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने इस भूमि की एवज में मुआवजा स्वरूप डीएलसी की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्तानुसार सहमति दे दी है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि 10 HMH के खाता संख्या 91 के प. न. 152/272 (36) कि. न. 36 के कि. न. 1/2 तादादी 0.127 है. में उत्तरी-पश्चिमी सिरे में पश्चिम से पूर्व 16½ फीट चौड़ा व 33 फीट लम्बा अर्थात् 0.005 है. रास्ता आम राजस्व रिकार्ड में ~~स्थित~~ अंकन किया जावे व मौके पर चालू करवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल-दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested